पन्ना लाल बनाम किशन

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 2022/ 187

04.08.2022	प्रार्थना पत्र पेश हुआ । विद्वान् अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित । प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर विद्वान् अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई । प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने अपने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय हाजा में अपील संख्या 16/574 विचाराधीन थी जिसे न्यायालय हाजा ने अपने आदेश दिनांक 26.05.2022 के द्वारा अदम हजारी एंव अदम पैरवी में खारिज कर दिया । न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रकरण में गत पेशी दिनांक 19.05.2022 नियत थी उक्त पेशी इकजाय दी गई थी जिसकी प्रार्थी को जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी थी और न ही उनके अभिभाषक न्यायालय हाजा में उपस्थित हो सके । अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा उक्त अपील की आगामी पेशी तलाश करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो चुकी है । जानकारी प्राप्त होते ही प्रार्थी द्वारा रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील को पुनः नम्बर पर लिया जावे । हमने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट ने अपने न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने के जो कारण बताएं हैं वे उचित प्रतीत होते हैं। प्रार्थी ने उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.05.2022 की जानकारी प्राप्त होते ही दिनांक 23.06.2022 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है । अतः उपर्युक्त स्थिति में प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं । अपील पुनः नम्बर पर ली जावे । रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिटर कर दाखिल दफ्तर होकर फैसल शुमार हो । निर्णय आज दिनांक 04.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । (मनोज कुमार) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा